(56)

तत्काल

संख्या-36012/22/93-स्था0(अनु0जा0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15.11.93

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य सचिव ।

विषय: अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण-भारत सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के आशय से संपन्न वर्ग का अपवर्जन-उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने अपने अधीन आने वाली सेवाओं तथा पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था के विषय मे 8.9.93 को अनुदेश जारी किए हैं(इस का0ज्ञा0 की एक प्रति संलग्न है) । उक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों में वे जातियां तथा समुदाय सम्मिलित होंगे, जिनके नाम मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूची दोनों मे दिए गए हैं । ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I खंड I में प्रकाशित दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी0सी0सी0(सी0) में अधिसूचित की गई थी । जातियों तथा समुदायों के सत्यापन के लिए भारत सरकार ने इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के का0ज्ञा0 सं0 36012/22/93-स्था0(अनु0जा0) (प्रति संलग्न) के द्वारा अनु0जा0/अनु0जनजाति के मामले मे निम्नलिखित प्राधिकारियों से जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र निर्धारित किया है:

(क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक(स्टाइपैन्डरी) मजिस्ट्रेट/उप मण्डल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) सहायक आयुक्त(प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो) ।

...2/-

(ख) मुख्य प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रैसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।

(ग) कम से कम तहसीलदार के स्तर का राजस्व अधिकारी ।

(घ) उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

2. इन्दिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर इस विभाग ने उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया है जिन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के का0ज्ञा0 सं0 36012/22/93-स्था0(अनु0जा0) की अनुसूची के कॉलम 3 द्वारा आरक्षण का लाभ लागू नहीं होगा । इस बात पर सोच-विचार किया गया है कि उन प्राधिकारियों को जिन्हें "अन्य पिछड़े वर्ग का है" यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है, को यह प्रमाणित करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाए कि उम्मीदवार का सम्बन्ध "सम्पन्न वर्ग" से नहीं है । अतः अनुरोध है कि आप अपने नियंत्रणाधीन जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश दें कि वे उम्मीदवारों को "अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होने" तथा साथ ही साथ "सम्पन्न वर्ग में न आने" के बारे में अपेक्षित प्रमाण का सत्यापन करें तथा प्रमाणपत्र जारी करें । जिला प्राधिकारी उम्मीदवारों के दावों की जांच कर पायें इस हेतु एक मॉडल प्रपत्र तैयार किया गया है जो अनुबन्ध "ख" पर उपलब्ध है । इसमे आवश्यकतानुसार संशोधन किए जा सकते हैं । सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र अनुबन्ध "क" पर उपलब्ध प्रपत्र के रूप में हो सकता है ।

3. यह भी अनुरोध है कि दिनांक 13.9.93 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग I खण्ड I में प्रकाशित पिछड़ी जातियों की सूची से संबंधित दिनांक 10.9.93 के कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं0 12011/68/93-बी0सी0सी0(सी0) तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.8.93 के का0ज्ञा0 सं0 36012/22/93-स्था0(अनु0जा0) का व्यापक प्रचार किया जाए जिसमे वे मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिसके अनुसार उन व्यक्तियों का निर्धारण होगा जो सम्पन्न वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिनपर आरक्षण

....3/-

लागू नहीं होगा । इससे उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी । यह भी उपयुक्त होगा कि इस संबंध में प्रमाणन अधिकारियों को उचित जानकारी दी जाए और साथ ही उन्हें उपर्युक्त गजट अधिसूचना की तथा इस विभाग के दिनांक 8.9.93 के का0ज्ञा0 की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं ताकि शीघ्र तथा सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित हो सके ।

5. इस सम्बन्ध में आपकी सरकार द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति भी इस विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाए ।

भवदीया,

[illegible]

(श्रीमती सरिता प्रसाद)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुबंध "क"

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाली अन्य पिछड़े ~~श्रेणियों~~ वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---------------- सुपुत्र श्री -------------------- निवासी गांव --------------- जिला/मण्डल ---------------------- राज्य ---------------------- समुदाय से संबंध रखता है, जिसे दिनांक 13 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खण्ड I में प्रकाशित भारत सरकार के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी0सी0सी0 (सी0) के तहत पिछड़े ~~श्रेणी~~ वर्गों (ओ.बी.सी) के रूप में मान्यता दी गई है ।

श्री ---------------- और उसका परिवार सामान्यता ------------ राज्य में जिला/मण्डल --------------- में निवास करता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह दिनांक 8.9.93 के भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के का0ज्ञा0 संख्या 36012/22/93 स्थापना (एस0सी0टी0) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंध नहीं रखता/रखती है ।

जिला मजिस्ट्रेट,
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक

मोहर

क) यहां प्रयोग की गई "सामान्यतः" शब्दावली का वही अर्थ होगा जो जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है ।

ख) जहां प्रमाणपत्र, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है, वह उसी प्रपत्र में होना चाहिए लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी तथा जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है)

अनुबन्ध "द"

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र ।

(इस फार्म का उपयोग केवल मॉडल के रूप में किया जाए । यदि अतिरिक्त मदें आवश्यक हो तो उन्हें फार्म में स्थानीय स्थिति के अनुसार जोड़ दिया जाए)

सेवा में,

____

____

____

____

महोदय,

अनुरोध है कि मुझे भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों का आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए ।

मेरे आवश्यक ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

1. आवेदक का पूरा नाम:
   (मोटे अक्षरों में)
2. जन्म तिथि
3. घर का पूरा पता
   (क) वर्तमान
   (ख) स्थायी
4. धर्म
5. जाति
6. उप-जाति
7. व्यावसायिक समूह
8. अन्य पिछड़ी श्रेणियों की केन्द्रीय सूची में जाति की क्रम संख्या
9. पिता का नाम
10. माता का नाम
11. पति का नाम
12. माता-पिता/पति की हैसियत

पिता माता

§क§ संवैधानिक पद

§।§ पदनाम

§ख§ सरकारी सेवाएं

पिता माता

§।§ सेवा §केन्द्रीय/राज्य§

§।।§ पदनाम

§।।।§ वेतनमान वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो तो

§IV§ पद पर नियुक्ति की तारीख

§V§ श्रेणी । पद पर पदोन्नति के समय आयु §यदि लागू हो§

II. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में नौकरी जैसे: यू0एन0, यूनिसेफ, डब्ल्यू0एच0ओ0

§।§ संगठन का नाम

§।।§ पदनाम

§।।।§ सेवावधि

§————————से————————तक की तारीख दर्शाएं§

III. मृत्यु/स्थायी अशक्तता §यदि लागू न हो तो हटा दें§

§।§ मृत्यु/स्थायी अशक्तता के कारण अधिकारी को सेवा से बाहर करने की तारीख

§।।§ स्थायी अशक्तता के ब्यौरे

§ग§ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में रोजगार

§।§ संगठन का नाम

§।।§ पदनाम

§।।।§ पद पर नियुक्ति की तारीख

(घ) अर्द्ध सैनिक बल सहित सशस्त्र सेना :-

(सिविल पद धारित व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)

(I) पदनाम

(II) वेतनमान

(ड.) व्यावसायिक श्रेणी/वर्ग (मद संख्या (ख) तथा (ग) में शामिल से भिन्न) तथा जो व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हैं ।

I. व्यवसाय/पेशा

(च) सम्पत्ति धारक

(च).1 कृषि जोत क्षेत्र: जिसके स्वामी माता-पिता तथा अवयस्क बच्चे हैं ।

(I) स्थान

(II) जोत क्षेत्र का आकार

(III) (क) सिन्चित

(सिंचित भूमि की किस्म)

(I)

(II)

(III)

(ख) असिंचित

(IV) राज्य भूमि सीमा नियमों के अधीन कानूनी ऊपरी सीमा के सन्दर्भ में सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता

(V) यदि जोत क्षेत्र सिंचित/असिंचित दोनों हैं तो राज्य भूमि सीमा नियमों में परिवर्तन सूत्र के आधार पर कुल सिंचित जोत क्षेत्र ।

(VI) उपरोक्त IV के अनुसार कानूनी ऊपरी सीमा की तुलना में कुल सिंचित जोत क्षेत्र की प्रतिशतता ।

कम से कम तहसीलदार के जिला राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए ।

(छ) II. बागान

(I) फसलें/फल

(II) स्थान

(III) बागान का क्षेत्रफल

[छ] III. खाली भूमि और/या शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों में इमारतें

[I] सम्पत्ति का स्थान

[II] सम्पत्ति का विवरण

[III] यह किस प्रयोग में लाई जा रही है ।

[ज] आय/सम्पत्ति

[I] सभी स्त्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय [वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को छोड़कर]

[II] क्या कर दाता है[हां/नहीं]
[यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की विवरणी की एक-एक प्रति लगाएं]

[III] क्या सम्पत्ति कर अधिनियम में शामिल है [हां/नहीं]
[यदि हां, तो विवरण दें]

13. अन्य कोई अभियुक्ति ।

14. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहां तक मुझे ज्ञात है, सही है तथा मैं अन्य पिछड़ी जातियों में "सम्पन्न वर्ग" से नहीं हूं और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पदों पर विचारण हेतु पात्र हूं । मैं समझता हूं कि किसी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर अथवा चयन के पहले या बाद अपात्र पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध कानून और/अथवा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार आगे कार्यवाही की जा सकती है ।

भवदीय,

[उम्मीदवार के हस्ताक्षर]

स्थान:-----------------

दिनांक------------------